नियम 45 : अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना

(1) अपील के पक्षकार अपील अधिकरण के समक्ष कोई अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे :

परंतु यदि अपील अधिकरण की यह राय हो कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए या किसी साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए या कोई शपथ पत्र फाइल किया न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी ने किसी पक्षकार को उनके द्वारा निर्दिष्ट या उनके द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना मामले का फैसला किया है, तो अपील अधिकरण, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने या साक्षियों की परीक्षा किए जाने या शपथ पत्र फाइल किए जाने या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमती दे सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण या किसी साक्षी की परीक्षा या किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करना या तो अपील अधिकरण के समक्ष या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा, जिसे अपील अधिकरण निर्देशित करे।

(3) जहां अपील अधिकरण द्वारा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई निर्देश दिया गया है, वहां प्राधिकारी अपील अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करेगा और ऐसे अनुपालन के पश्चात् दस्तावेज, साक्षियों के कथन का अभिलेख या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अभिलेख अपील अधिकरण को भेजेगा।

(4) अपील अधिकरण, यदि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, तो स्वप्रेरणा से किसी भी दस्तावेज को मांग सकेगा या विवाद्यक बिंदुओं पर किसी भी साक्षी को बुला सकेगा।